भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून, 1998

अधिसूचना

(आयकर)

सा0आ0सं0 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री दुर्गियाना कमेटी (रजिस्टर्ड), अमृतसर" को कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 1998-99 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(i) कर-निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अन्यथा उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती उक्त-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न (तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं कराता रहेगा।

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तकाएं नहीं रखी जाती हों।

(एच.के. चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं0 10375 [फा0सं0 197/57/97-आयकर नि0-I]

सेवा में,
प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।